AFR

माननीय छत्तीसगढ उच्च् न्यायालय बिलासपुर
प्रथम अपील (First Appeal No).125 of 2007
सरक्षित दिनांक (Reserved on) 24.06.2020
घोषित दिनांक (Pronounced on) 02.07.2020

लाईफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ब्रांच मैनेजर (एल एंड एचपीएफ),
डिवीजनल ऑफिस, "जीवन प्रकाश", जीवन बीमा मार्ग,
पंडरी, रायपुर (छ.ग.) ---- **अपीलार्थी/वादी**

विरूद्ध

1. श्री धन्य कुमार जैन पिता– श्री धम्मूमल जैन,
2. श्री राजेश जैन, पिता–श्री धम्मूमल जैन,
3. आनंद कुमार जैन, पिता–श्री धम्मूमल जैन,
4. मनोज कुमार जैन, पिता–श्री धम्मूमल जैन,

सभी निवासी– होटल महिन्द्रा के पीछे कचौरी चौक, जेल रोड
रायपुर (छ.ग.) ---- **उत्तरवादी/प्रतिवादी**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी द्वारा : श्री मुकेश शर्मा अधिवक्ता ।
उत्तरवादी द्वारा : श्री रणबीर सिंह मरहास अधिवक्ता।

माननीय श्री संजय कुमार अग्रवाल, न्यायाधीश

सी०ए०वी० आदेश (C.A.V. Judgment/Order)

1. यह अपील वादी - भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे निगम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सीपीसी') की धारा 96 के तहत प्रस्तुत की गई है, जिसमें नवम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एफटीसी), रायपुर द्वारा सिविल वाद संख्या 18-ए/2006 में पारित दिनांक 30.04.2007 के निर्णय और डिक्री की वैधता और औचित्य पर सवाल उठाया गया है, जिसके तहत दावे को समय सीमा अनुसार वर्जित मानते हुए खारिज कर दिया गया था। इस अपील के पक्षकारों को अपील में दिए गए विवरण के अनुसार संबोधित किया जावेगा।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3, उधारकर्ताओं ने मेसर्स पारस फिल्म

एक्सचेंज नामक अपनी फर्म के संबंध में व्यवसाय के विकास के लिए 2,00,000/- (केवल दो लाख रुपये) की ऋण राशि के लिए निगम से संपर्क किया है। इस पर विचार करने के पश्चात्, निगम द्वारा 14.12.1988 के ऋण प्रस्ताव पत्र में निर्धारित कुछ नियमों एवं शर्तों के अधीन इसे स्वीकृत किया गया तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त ऋण राशि की सुरक्षा के लिए अचल संपत्ति के समतामूलक बंधक का विलेख निष्पादित किया गया। वादी के अनुसार, प्रतिवादीगण ने उक्त ऋण राशि का भुगतान करने में चूक की है तथा मांग नोटिस जारी करने के बावजूद इसे जमा करने में विफल रहे हैं, इसलिए वादी-निगम को ब्याज सहित 3,01,148/- रुपए की राशि की वसूली के लिए वाद दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

3. उपरोक्त दावे का विरोध करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा यह तर्क दिया गया कि चूंकि उक्त ऋण राशि की वसूली के लिए वाद उनके द्वारा पहली बार कथित रूप से की गई चूक की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के बाद दायर किया गया है, इसलिए इसे सीमा के बिंदु पर खारिज किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने माना कि चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति सरकारी नजूल भूमि है, इसलिए किया गया दावा मान्य नहीं है। आगे यह कहा गया कि स्टाम्प ड्यूटी के अभाव में, "इकरारनामा विलेख" (प्रदर्श पी.29) और "शीर्षक विलेखों के जमा करने का ज्ञापन" (प्रदर्श पी.30) को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं माना जा सकता है और आगे कहा कि चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा 28.12.1988 को भुगतान में पहली चूक किए जाने के तीन वर्ष की अवधि के बाद ऋण राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया गया है इसलिए समय के अनुसार दावा वर्जित है। परिणामस्वरूप, दावा खारिज कर दिया गया, जिस पर इस अपील के माध्यम से आपत्ति उठाई गई है।

5. निगम की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा ने कहा कि विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि दावा समय-सीमा से वर्जित है, स्पष्ट रूप से कानून के विपरीत है। हालांकि, यह देखना चाहिए था कि चूंकि कथित ऋण राशि हिंदू अविभाजित परिवार के स्वामित्व वाली अचल संपत्ति के साम्यिक बंधक के अधीन स्वीकृत की गई थी, इसलिए यह भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 (जिसे आगे 1963 का अधिनियम कहा जाएगा) के अनुच्छेद 62 द्वारा शासित होगी, और इस प्रकार दावे को समय से वर्जित नहीं माना जा सकता है। श्री शर्मा का आगे यह तर्क है कि विचारण न्यायालय को, प्रदर्श पी 29 और प्रदर्श पी 30 के रूप में चिह्नित उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को, बिना मुहर लगे साक्ष्य के रूप में अग्राह्य मानने से पहले, धारा 33 और 35 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करना

चाहिए था। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे आगे 1899 का अधिनियम कहा जाएगा) के अनुसार, ऐसा करने में विफल रहने पर, विचारण न्यायालय ने दावे को खारिज करके गंभीर अवैधता की है।

6. प्रतिवादीगण/उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रणबीर सिंह मरहास ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय और डिक्री का समर्थन किया है।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी हैं तथा सम्पूर्ण अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

8. निर्विवाद रूप से, प्रतिवादीगण को मेसर्स पारस फिल्म एक्सचेंज नामक उनकी फर्म के व्यवसाय के विकास के लिए एम-1 योजना के तहत 2,00,000/- रुपये (केवल दो लाख रुपये) की ऋण राशि स्वीकृत की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त ऋण राशि की सुरक्षा के लिए, प्रतिवादीगण ने अपने 'कर्ता' मनोज कुमार के माध्यम से प्लॉट क्रमांक 2/11, ब्लॉक क्रमांक 95, मौदहापारा, रायपुर में स्थित अपनी अविभाजित संपत्ति को गिरवी रख दिया है, जैसा कि "संपत्ति के बंधक पर ऋण के लिए आवेदन" (प्रदर्श पी.2) नामक दस्तावेज़ के पैरा 21 से स्पष्ट है। इसलिए, उक्त संपत्ति, जो इस तरह से गिरवी रखी गई थी, निःसंदेह उनके अविभाजित परिवार की थी और वास्तव में यह विवाद का विषय नहीं था कि यह उनकी नहीं थी। इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा अपने लिखित बयान में यह दलील दी गई है कि निगम द्वारा कथित ऋण राशि स्वीकृत करने से पहले मनोज कुमार के हस्ताक्षर कोरे कागजों पर प्राप्त किए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि उक्त संपत्ति की प्रकृति मुद्दा नहीं थी, फिर भी विचारण न्यायालय ने माना है कि यह सरकारी नजूल भूमि है और प्रतिवादीगण द्वारा इसे गिरवी नहीं रखा जा सकता। इसलिए, उक्त निष्कर्ष को खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. यह सच है कि कथित दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात् "इकरारनामा विलेख" और "शीर्षक विलेखों के जमा करने का ज्ञापन", क्रमशः प्रदर्श पी.29 और प्रदर्श पी.30 के रूप में चिह्नित, स्टाम्प शुल्क की अनुपस्थिति में निष्पादित किए गए हैं इसलिए, प्रतिवादीगण ने साक्ष्य के स्तर पर इसकी स्वीकार्यता के बारे में आपत्ति उठाई है। हालांकि, विचारण न्यायालय ने उन आपत्तियों पर ध्यान देते हुए, यह देखा कि अंतिम सुनवाई के समय इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए और अंततः उन दस्तावेजी साक्ष्यों को साक्ष्य में अस्वीकार्य माना गया। इसलिए, उस विशेष चरण में ही उन दस्तावेजी साक्ष्यों की स्वीकार्यता के बारे में निर्णय लेने के स्थान पर उक्त आपत्ति को स्थगित रखने का विचार अस्वीकार्य है और कानून

की नजर में बने रहने योग्य नहीं है। यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां किसी दस्तावेज की स्वीकार्यता के बारे में इस आधार पर सवाल उठाया जाता है कि उस पर मुहर नहीं लगी है, या उस पर उचित रूप से मुहर नहीं लगी है, तो उस पर उस समय तुरंत निर्णय लिया जाना चाहिए जब दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसा कि **बिपिन शांतिलाल पंचाल** बनाम **गुजरात राज्य और अन्य** के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने **(2001) 3 एससीसी 1** में कहा है, जिसमें पैराग्राफ 14 में निम्नलिखित रूप में माना गया है:

> **"14.** जब इस तरह से पुनर्गठित किया जाता है, तो एक बेहतर विकल्प यह हो सकता है: जब भी मौखिक साक्ष्य की किसी सामग्री या मद की स्वीकार्यता के बारे में साक्ष्य लेने के चरण के दौरान कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो विचारण न्यायालय ऐसी आपत्ति को नोट कर सकता है और आपत्ति किए गए दस्तावेज को मामले में एक प्रदर्शन के रूप में चिह्नित कर सकता है (या मौखिक साक्ष्य के आपत्ति किए गए हिस्से को रिकॉर्ड कर सकता है) ऐसी आपत्तियों पर अंतिम निर्णय में अंतिम चरण में निर्णय लिया जाएगा। यदि न्यायालय अंतिम चरण में पाता है कि उठाई गई आपत्ति संधारणीय है, तो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे साक्ष्य को विचार से बाहर रख सकते हैं। हमारे विचार में ऐसा तरीका अपनाना कोई अवैधानिकता नहीं है। (हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि आपत्ति किसी दस्तावेज़ की स्टाम्प ड्यूटी की कमी से संबंधित है, तो न्यायालय को आगे बढ़ने से पहले आपत्ति पर निर्णय लेना होगा। अन्य सभी आपत्तियों के लिए ऊपर सुझाई गई प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।)"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इसके अलावा, इसे साक्ष्य में अग्राह्य मानने से पहले, विचारण न्यायालय को 1899 के अधिनियम की धारा 33 और 35 के तहत अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रावधानों का अवलंब लेना चाहिए था, जो इस प्रकार हैं:

> **"33.** विलेखों **की जांच** एवं परिबद्धता--- (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास विधि द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है, और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी है, सिवाय पुलिस अधिकारी के, जिसके समक्ष कोई ऐसा उपकरण, जो उसकी राय में कर्तव्य के अधीन है, उसके कार्यों के निष्पादन में प्रस्तुत किया

जाता है या आता है, यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा उपकरण विधिवत् रूप से स्टाम्पित नहीं है, तो उसे परिबद्ध कर लेगा।

(2) उस प्रयोजन के लिए प्रत्येक ऐसा व्यक्ति प्रत्येक उपकरण की जांच करेगा जो उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया है या आया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उस पर उस मूल्य और वर्णन की स्टाम्प लगी है जो उस समय [भारत] में लागू कानून द्वारा अपेक्षित है जब ऐसा उपकरण निष्पादित किया गया था या पहली बार निष्पादित किया गया था:

बशर्ते कि---

(क) इसमें निहित कोई भी बात किसी दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अध्याय XII या अध्याय XXXVI के अंतर्गत कार्यवाही के अलावा किसी अन्य कार्यवाही के दौरान उसके समक्ष आने वाले किसी भी दस्तावेज की जांच या परिबद्ध करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट या दंड न्यायालय के न्यायाधीश को, यदि वह ऐसा करना उचित नहीं समझता है, आवश्यकता नहीं समझी जाएगी;

(ख) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में, इस धारा के अंतर्गत किसी भी दस्तावेज की जांच और परिबद्ध करने का कर्तव्य ऐसे अधिकारी को सौंपा जा सकता है जिसे न्यायालय इस संबंध में नियुक्त करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, संदेह की स्थिति में----

(क) [राज्य सरकार]] यह निर्धारित कर सकती है कि कौन से कार्यालय सार्वजनिक कार्यालय माने जाएंगे; और

(ख) [राज्य सरकार]] यह निर्धारित कर सकती है कि कौन से व्यक्ति सार्वजनिक कार्यालयों के प्रभारी माने जाएंगे।

xxxx xxxx xxxx xxxx

35. बिना विधिवत स्टाम्प वाले विलेख **साक्ष्य में अग्राह्य, आदि**--- शुल्क से प्रभार्य कोई भी उपकरण किसी भी उद्देश्य के लिए किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसके पास कानून या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है, या उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी, किसी ऐसे व्यक्ति या किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा पंजीकृत या प्रमाणित नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे उपकरण पर विधिवत स्टाम्प न लगा हो:

बशर्ते कि---

(क) कोई ऐसा लिखत, उस शुल्क के भुगतान पर साक्ष्य में स्वीकार किया जाएगा जिसके साथ वह प्रभार्य है, या, ऐसे उपकरण के मामले में जिस पर

ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि का अपर्याप्त रूप से स्टाम्प किया गया है, पांच रुपये के जुर्माने के साथ, या, जब उचित शुल्क या उसके कम हिस्से की राशि का दस गुना पांच रुपये से अधिक हो, तो ऐसे शुल्क या हिस्से के दस गुना के बराबर राशि;

(ख) जहां कोई व्यक्ति जिससे स्टाम्पयुक्त रसीद मांगी जा सकती थी, ने स्टाम्परहित रसीद दी है और ऐसी रसीद, यदि स्टाम्पयुक्त होती, तो उसके खिलाफ साक्ष्य में स्वीकार्य होती, तो ऐसी रसीद उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा एक रुपये के जुर्माने के भुगतान पर उसके खिलाफ साक्ष्य में स्वीकार की जाएगी;

(ग) जहां किसी भी प्रकार का अनुबंध या करार दो या अधिक पत्रों से मिलकर बने पत्राचार द्वारा किया जाता है और उनमें से किसी एक पत्र पर उचित स्टाम्प लगा होता है, वहां अनुबंध या करार विधिवत् स्टाम्प लगा हुआ माना जाएगा;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(घ) इसमें निहित कोई भी बात दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय XII या अध्याय XXXVI के अंतर्गत कार्यवाही के अलावा किसी दंड न्यायालय में किसी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में किसी भी दस्तावेज को स्वीकार किए जाने से नहीं रोकेगी;

(ङ) इसमें निहित कोई भी बात किसी न्यायालय में किसी भी दस्तावेज को स्वीकार किए जाने से नहीं रोकेगी, जब ऐसा दस्तावेज [सरकार] द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया गया हो, या जहां उस पर धारा 32 या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अनुसार कलेक्टर का प्रमाण पत्र लगा हो।

11. धारा 33 के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, स्टाम्प शुल्क के लिए प्रभार्य किसी विलेख के संबंध में "प्रस्तुत" शब्द का उपयोग करता है, जबकि धारा 35 स्टाम्प रहित विलेख के संबंध में "साक्ष्य में स्वीकार किया गया" या "कार्यवाही की गई" शब्दों का उपयोग करता है। इस प्रकार, "विलेख का प्रस्तुतिकरण" और "साक्ष्य में इसकी स्वीकार्यता" के बीच अंतर है। इसलिए, उपर्युक्त प्रावधानों के संयुक्त पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगी कि यदि कोई स्टाम्प रहित विलेख, जिस पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिवत स्टाम्प लगाया जाना चाहिए था, न्यायालय के समक्ष आता है, तो

न्यायालय उसे परिबद्ध कर लेगा और स्टाम्प शुल्क के साथ-साथ उसका जुर्माना भी लगाएगा और फिर दस्तावेज़ को साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है।

12. मेरा उपरोक्त अवलोकन **मलेशियन एयरलाइंस सिस्टम बीएचडी** बनाम **स्टिक ट्रैवल्स (पी) लिमिटेड** के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों द्वारा पुष्ट होता है, जो **(2001) 1 एससीसी 451** के पैराग्राफ 6 में रिपोर्ट किया गया है:

> "6. ..... लेकिन ऐसे मामले में जहां दस्तावेज़ के निष्पादन की तारीख से 3 महीने पहले ही समाप्त हो चुके हैं और बाद में दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में अदालत के समक्ष पेश किया जाता है, अदालत को दस्तावेज़ को परिबद्ध करने और स्टांप शुल्क और जुर्माना वसूलने की अनुमति है.....।"

13. इस मामले में, जैसा कि ऊपर पाया गया है, उक्त दोनों दस्तावेज (प्रदर्श पी.29 और प्रदर्श पी.30), जो विधि के तहत अपेक्षित रूप से विधिवत स्टाम्पित नहीं हैं, न केवल न्यायालय द्वारा परिबद्ध किए जा सकते थे, बल्कि पूर्वोक्त प्रावधानों के तहत उल्लिखित शक्तियों के प्रयोग में कानून की आवश्यकता को पूरा करने पर साक्ष्य में भी स्वीकार किए जा सकते थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इस संबंध में आपत्ति उठाए जाने पर साक्ष्य के समय भी इसका प्रयोग करने में विफल रहने के कारण, विचारण न्यायालय ने यह मान कर गंभीर अवैधता की है कि दोनों दस्तावेज साक्ष्य में अस्वीकार्य हैं। अतः उक्त निष्कर्ष अपास्त किया जाता है।

15. चूंकि यह प्रतीत होता है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कि प्रतिवादीगण द्वारा कथित ऋण राशि की सुरक्षा के लिए अपने स्वामित्व विलेख जमा करके कथित अचल संपत्ति के बंधक का कार्य निष्पादित किया गया था, और इसलिए, दावा 1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 62 द्वारा शासित होगा, जो इस तरह के मुकदमे को दायर करने में 12 वर्ष की सीमा अवधि प्रदान करता है। उक्त प्रावधान इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

62. बंधक द्वारा सुरक्षित या अचल संपत्ति पर अन्यथा लगाए गए धनल का भुगतान लागू करना ।	बारह साल	जब मुकदमा दायर किया गया पैसा देय हो जाता है।"

16. उपरोक्त प्रावधानों को इस मामले में लागू करते हुए, जिसमें निगम द्वारा स्वीकृत ऋण राशि अचल संपत्ति पर उक्त बंधक के निर्माण के आधार पर सुरक्षित थी, किए गए दावे को समय के द्वारा वर्जित नहीं माना जा सकता है।

17. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है और सिविल वाद क्रमांक 18-ए/2006 में नवम अपर जिला न्यायाधीश (एफटीसी), रायपुर द्वारा पारित आलोच्य निर्णय और डिक्री दिनांक 30.04.2007 को अपास्त किया जाता है और तदनुसार मामला नवम अपर जिला न्यायाधीश (एफटीसी), रायपुर/संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जाता है, जिसमें निर्देश दिया जाता है कि विधि के अनुसार 1899 के अधिनियम की धारा 33 और 35 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रावधानों का पालन करते हुए इसे नए सिरे से तय किया जाए। पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे 29.07.2020 को उक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें और विचारण न्यायालय उन्हें सुनवाई का पर्याप्त और उचित अवसर देने के बाद मामले का फैसला करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह सम्पूर्ण अभिलेख तत्काल संबंधित न्यायालय को प्रेषित करे।

19. परिव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/–
(संजय एस**.** अग्रवाल**)**
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**